न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 201 / 2021 (2021 / 560)

01 कन्हैयालाल पुत्र श्री खूबचन्द जाति सिन्धी

02 रवि भगतानी पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति सिन्धी

—— वादीगण

◆ बनाम ◆

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राज ।

—— प्रतिवादी

(वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,209,92ए राज.काश्तकारी अधिनियम)

उपस्थित:–

01. श्री शिवप्रसाद पाराशर (अधिवक्ता वादीगण)

02. श्री नवल किशोर पारीक (अधिवक्ता प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम केकड़ी पटवार मण्डल केकड़ी में स्थित आराजी की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 के खा.न की निम्नानुसार आराजीयात है:–

खाता स. नये	खसरा नम्बर पुराना	रकबा	किस्म
3733 / 8632	3414	0.21	चाही
3733	3414	0.02	चाही
3732	3414 / 6433		गै.मु.चाह
3834	3419		गै.मु.चाह
	कुल किता 4	कुल रकबा 0.23	

उक्त आराजीयात व चाह राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2024–2027 से सोकरण वल्द [illegible] लाल कौम जाट के नाम दर्ज चली आ रही थी। जिसको मधुसुदन पुत्र श्री घनश्याम गर्ग व पदम गुप्ता पुत्र श्री शिवरतन गुप्ता कौम महाजन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसका विधिवत नामान्तकरण जमाबन्दी संवत 2024–2027 में नामान्तकरण संख्या 718 दिनांक 08.03.1993 को किया गया। लेकिन उक्त वर्णित आराजीयात मय चाह सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त वर्णित आराजीयात मय चाह सिवायचक दर्ज कर दिए जाने से पुनः खातेदारान मधुसुदन पुत्र घनश्याम वगै0 के नाम दर्ज किये जाने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के यहा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसको उपखण्ड अधिकारी महोदय केकड़ी द्वारा दिनांक 01.05.2007 को अन्तर्गत धारा 136 राज0 भें राजस्व अधिनियम को निर्णित करते हुए आदेश कमांक राजस्व/07/104 को पुनः मधुसुदन पुत्र वगैरह के नाम दर्ज करने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब केकड़ी को आदेश दिए गये। उक्त आराजीयात मय चाह वादी 1 की पत्नि व वादी 2 की माता श्रीमति मीरा देवी ने उक्त वर्णित आराजीयात मय चाह को जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र के मधुसुदन पुत्र श्री घनश्याम, पदम गुप्ता पुत्र श्री शिवरतन गुप्ता कौम महाजन बहेसियत मुख्त्यार आम श्री घनश्याम गर्ग पुत्र श्री राजमल जी गर्ग निवासीगण अजमेर से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसके विकयपत्र का विधिवत पंजीयतन श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब केकड़ी के कार्यालय में दिनांक 09.07.2007 को कमांक सं 3802/07 पर पंजीबद्ध किया गया। जिसमें उक्त वर्णित आदेश का अंकन किया गया। इस प्रकार ईमरोज खरीद के उक्त वर्णित आराजीयात मय चाह के वादी सं 1 की पत्नि व वदी संख्या 2 की माता श्रीमति मीरा देवी के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य उपयोग उपभोग में चली आ रही थी। श्रीमति मीरा देवी का स्वर्गवास हो चुका है। स्व0 श्रीमति मीरा देवी के वादीगण विधिक वारिसान है। वादीगण के अलावा स्व. श्रीमति मीरा देवी के अन्य कोई वारिसान नहीं है इस प्रकार वर्णित आराजीयात व चाह पर वादीगण का कब्जा स्वामित्व है। उक्त वादवर्णित आराजीयात मय चाह वादी संख्या 1 की पत्नि व वादी संख्या 2 की माता श्रीमति मीरा देवी की खरीद सुदा है तथा ईमरोज खरीद से ही श्रीमति मीरा देवी के ही कब्जे काश्त में चली आ रही थी तथा मीरा देवी के स्वर्गवास के उपरांत वादीगण का ही कब्जा स्वामित्व है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में उक्त वर्णित आदेश अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्व अधिनियम का अंकन नहीं होने से आज दिनांक तक उक्त वर्णित विक्रय पत्र के [illegible] पर [illegible] मीरा देवी के नाम राजस्व रिकोर्ड में नामान्तंकरण नहीं हो सका। [illegible] वादी सं 1 की पत्नि व वादी संख्या 2 की माता श्रीमति मीरा देवी के जरिये [illegible] विक्रय पत्र से खरीदशुदा व श्रीमति मीरा देवी के स्वर्गवास के पश्चात एक मात्र वादीगण विधिक वारीसान होने से [illegible] आराजीयात मय चाह [illegible] वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:37:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

वादीगण द्वारा आराजीयात व चाह का राजस्व रिकॉर्ड में विक्रय पत्र के आधार पर कई मर्तबा निवेदन किया परन्तु आज दिनांक उक्त वाद वर्णित आराजीयात मय चाह का श्रीमति मीरा देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण नही किया गया इस लिए यह वाद प्रस्तुत करना लाजमीआया है वाद प्रस्तुत करने का मुल कारण प्रथम बार दिनांक 08.12.2021 को वादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी द्वारा नामान्तकरण करने से इंकार करते हुऐ सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करो। इसलिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ वादीगण द्वारा वाद वर्णित आराजीयात मय चाह का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात मय चाह को विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर डिकरी करवाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

उक्त आराजीयात पर तहसीलदार केकड़ी की रिपोट अनुसार बिन्दु सं 1 पर जवाब में बताया गया उक्त आराजीयात कस्बा केकडी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 के खाता सं 3006 के खाता नं 3733/8632 रकबा 0.21है0 किस्म नगरपालिका केकडी के नाम तथा खाता सं. 1697 के ख.न 3733 रकबा 0.02 किस्म जाव2 मीरा पत्नि कन्हैयालाल भगतानी जाति सिन्धी खातेदार तथा खाता सं 1696 के ख.न 3834 किस्म गै.मु.चाह किशनलाल, हि/1/5, मुरारी लाल हि.1/5 पुत्र श्री नारायण कौम महाजन, मुरारी पुत्र नारायण हि 1/5 देवकरण पुत्र चतुर्भुज हि1/5 जाति जाट, मीराभगतानी पत्नि कन्हैयालाल हि. 1/5 जाति सिन्धी तथा खाता सं 1705 के ख.न 3732 रकबा 0.01 गै.मु.चाह देवकरण पुत्र चतुर्भुज हि. 1/5 जाति मुरारी लाल पुत्र नारायण जाति गर्ग हि 1/5 मीरा भगतानी पत्नि कन्हैयालाल कौम सिन्धी हि1/5 सुरजमल पुत्र श्रीपाल हि.1/5 हरदेव पुत्र ज्वारा हि1/5 कौम जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

वाद वर्णित आराजीयात में उपरोक्तानुसार जवाब सरकार पैश हुआ पत्रावली में तनीकीयात कायम की गई।

तनकीयात:–

1 आया वादी वाद पत्र में वर्णित भूमि वाके ग्राम केकड़ी के खाता संख्या 3006 के खसरा नं 3733/8632, 3733, 3732, 3834 का खातेदार काश्तकार घोषित होने का हक रखता है।

––वादी

2 दादरसी

प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया

शहादत वादी में वादी संख्या 1 ने शपथ पत्र पेश कर स्वयं को परिक्षित करवाया तथा दस्तावेज पेश किये–प्रदर्श पी.1, जमाबन्दी संवत् 2059, प्रदर्श पी. 2नामान्तकरण,प्रदर्शपी. 3 मिलानक्षेत्रफल, पेश किये गये है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र की फोटोप्रति पेश की गई है जिनकी असल प्रति न्यायालय में वादी के अधिवक्ता प्रस्तुत कर मिलान किया जाकर दस्तावेज को प्रदर्शित करने की अनुमति चाही , जिस पर असल से मिलान कर दस्तावेजों को प्रदर्शितकरने की अनुमति दी गई। प्रदर्श पी.4ए,पी.4–पी.ए विक्रय पत्र प्रदर्शित करायें।

शहादत वादी स. 2 द्वारा शपथ पत्र पेश कर स्वयं को A to B हस्ताक्षर कर परिक्षित करवाया । दिनांक 17.01.2022 को वादीगण के गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाकर साहदतवादी बंद कि गई। वकीलवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत पेश किया जिस पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार व वादी के अधिवक्ता को सूना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम की 10सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादी ने संशोधित शीर्षक पैश किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तलबी करवायी गई ।

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नवल किशोर पारीक ने पावर व जवाब पेश किया जिसे शमिल मिसल किया गया , जिसमे एवं उक्त आराजीयात के खसरा नं 3733/8632 रकबा 0.21 है जो नगर पालिका केकड़ी श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश से दर्ज किया गया है।
उक्त आदेश की छायाप्रति शामिल प्रत्रावली है।

उक्त प्रस्तुत जवाब में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है। जिससे तनकी संशोधित करने की आवश्यकता हो। प्रतिवादी सं 2व 3 के अधिवक्ता पूर्व में कायम तनकी से सहमत है। पक्षकारान अधिवक्ता शहादत वादी से जिरह नहीं करना चाहि है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेजात पर ... किया गया पक्षकारान को सुना गया, वाद का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है वाद स्वीकार ... अनुसार ग्राम केकड़ी खाता संख्या 3006 के खसरा नं 3733/8632, 3733, 3732, 3834 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवीही करावें। इस आशय की डिकी पर्चा जारी हों खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:37:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधि.
केकड़ी (अज.)

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकददमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedur Code Appndix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम केकड़ी

1.कन्हैयालाल पुत्र श्री खूबचन्द जाति सिन्धी
2. रवि भगतानी पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति सिन्धी

बनाम 1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

—वादीगण —प्रतिवादीगण

व इजलास श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,209,92ए आर.टी.एक्ट
प्रकरण संख्या 201/2021(2021/550)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री शिव प्रसाद पाराशर, प्रतिवादी– नवल किशोर पारीक , पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी हाजिर गुप[illegible] पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 88,89,209,92ए आर.टी. एक्ट बाबत [illegible]कार किया जाता है। ग्राम केकड़ी की खाता संख्या नया–पुराना 3006 खसरा नं 3733/8632, 37[illegible], 3732, 3834 का बादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार केकड़ी राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दराज की कार्यवाही करे।

डिकरी पर्चा जारी किया जा रहा है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक..बाबत्.................................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....
....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 फरवरी 2022 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	——	——	मुतफरिक	——	——
मीजान ...	0	0		0	0

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये [illegible] गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:37:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner